बिहार सरकार

# समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in  वेबसाइट - arwal.bih.nic.in  दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक-  दिनांक -

## आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या **40-3/2020-DM-1(A)** दिनांक 30.09.2020 द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 31.10.2020 तक विस्तारित करते हुए **Re-Opening** संबंधी दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020–380 अ0मु0स0को0 दिनांक 01.10.2020 द्वारा गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश एवं उसके साथ संलग्न दिशा–निर्देश को बिहार राज्य में भी यथावत लागू एवं अनुपालित किये जाने का निदेश निर्गत किया गया है। उक्त के आलोक में आदेश निम्नवत् हैं :–

1. कंटेनमेन्ट जोन के बाहर सभी प्रकार की गतिविधियॉ जारी रहेंगी। अपवाद स्वरूप निम्न गतिविधियॉ प्रतिबंधित रहेंगी।

A. विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान दिनांक 15.10.2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से खोली जा सकती है। तथापि निम्नलिखित गतिविधियॉ जारी रहेंगी।

I. ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा जारी रहेंगी एवं उसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

II. जहाँ विद्यालय ऑनलाईन कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र उपस्थित होने के बजाय ऑनलाईन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

III. छात्र अभिभावकों के लिखित सहमति से ही विद्यालय/संस्थानों में जा सकते हैं।

IV. उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए और पूरी तरह से माता–पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।

V. जिन विद्यालयों को खोले जाने की अनुमति होगी, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

B. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दिनांक 15.10.2020 से स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति होगी।

C. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में कंटेनमेन्ट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स दिनांक 15.10.2020 से 50 प्रतिशत बैठान क्षमता के अनुरूप खोलने की अनुमति होगी।

D. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में मनोरंजन पार्क एवं समकक्षीय स्थान दिनांक 15.10.2020 से खोलने की अनुमति होगी।

E. वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में कंटेनमेन्ट जोन के बाहर व्यापारिक प्रदर्शनी को दिनांक 15.10.2020 से खोलने की अनुमति होगी।

F. सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति पूर्व में 100 व्यक्तियों की क्षमता के साथ दी गयी थी। कंटेनमेन्ट जोन के बाहर ऐसे कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों से अधिक लोगों को निम्नलिखित शर्तो के साथ शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

I. बंद स्थान में 200 व्यक्तियों की क्षमता के साथ, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाईजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

II. खुले स्थानों में जमीन के आकार को ध्यान मे रखते हुए सामाजिक दूरी का सख्त पालन, फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश/सैनिटाईजर के उपयोग के साथ अनुमति दी जाएगी।

2. लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित होगा।

I. कंटेनमेन्ट में लॉकडाउन दिनांक 31.10.2020 तक पूर्णतः प्रभावी रहेगा।

II. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कंटेनमेन्ट जोन चिन्हित करेंगे। कंटेनमेन्ट जोन में अन्य सभी गतिविधियॉ/सेवायें (आपातकालीन एवं अनिवार्य सेवायें को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी।

3. कंटेनमेन्ट जोन के बाहर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी।

4. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलायें एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। आवश्यक एवं चिकित्सकीय उद्धेश्य से ही बाहर निकलें।

5. जिला अंतर्गत सभी विभागों के कार्यालय प्रधान को निदेशित किया जाता है कि अपने सभी कर्मचारियों के मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

6. साथ ही सार्वजनिक रूप से यह भी सलाह दी जाती है कि सभी व्यक्ति अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करवाएँ एवं अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन करते रहें।

7. अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को निदेशित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आदेश निम्नवत् है:–

I. अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेंगे।

II. सभी दुकानदार/सार्वजनिक स्थलों पर कार्य स्थल एवं परिवहन में मास्क का प्रयोग नितांत आवश्यक होगा।

III. दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों की सामग्री उपलब्ध करायेंगें। साथ ही ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों /प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड–19 विनियमावली, 2020 के विनियम–19 के (शास्ति) के आलोक में सील करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

IV. सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन निश्चित रूप से किया जायेगा।

V. **सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा तथा यत्र तत्र थूकने की मनाही होगी तथा पकड़े जाने पर उनके विरूद्ध कोटपा के तहत कार्रवाई की जायेगी।**

VI. सभी **सार्वजनिक स्थलों** के प्रवेश एवं निकास द्वार पर **थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाईजर** एवं सोशल डिस्टेसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

VII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** एवं **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** एवं **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत** विधि सम्मत कार्रवाई करेंगें।

VIII. **जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

IX. **अपर समाहर्ता, अरवल इस Re-Opening** आदेश के **वरीय प्रभार में रहेंगें।** जिनका दायित्व होगा कि वे **Re-Opening** के तहत निर्गत दिशा–निर्देश का अनुश्रवण करेंगें तथा अनुपालन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।

X. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 1112/गो0 अरवल दिनांक 01/10/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/जिला पंचायती राज पदा0/जिला जन सम्पर्क पदा0/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्/अनुमंडल पदा0 एवं अनुमंडल पुलिस पदा0, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।